


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 14 जून, 2019

संख्या:1/पी0-1025/2011-सा0प्र0-8043 /राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी-श्री संजय दयाल, आई0आर0एस0एस0 (99), विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग-रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 08.06.2019 के प्रभाव से अगले दो वर्षों के लिए अर्थात् दिनांक 07.06.2021 तक विस्तारित की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


14.6.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1025/2011-8043/पटना-15, दिनांक: 14 जून, 2019

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) ,बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/श्री सी0 के0 विनोद, अवर सचिव (डी0), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14.6.19
सरकार के अवर सचिव।